

## लोक सुनवाई का वृत्।

मेसर्स फ्रंटलाइन (एनसीआर) बिजनेस सॉल्यूशंस प्रा० लिमिटेड, निर्देशक: श्री बीरेंद्र सिंह, पिता—स्व. राम लायक सिंह, 301, तीसरी मंजिल, पटना, सुपर मार्केट, फ्रेजर रोड, जिला—पटना—800001 द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट—02 मौजा—सोनबरसा, तहसील—अरवल, जिला—अरवल अन्तर्गत बालु खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 26.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, अरवल जिला—अरवल के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2335/2023, dated 31.03.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार, अपर समाहर्ता, अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 26.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, अरवल, जिला—अरवल में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—१)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 25.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट—02 मौजा—सोनबरसा, तहसील—अरवल, जिला—अरवल के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मौगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की

सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजना विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़कों पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री अमरेन्द्र कुमार, पता: सोनबरसा, जिला: अरवल।	<p>इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण से फसल को नुकसान होता है; को रोक-थाम से संबंधित प्रश्न पूछा।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो।</p> <p>इसप्रकार श्री अमरेन्द्र कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
2.	श्री महेश कुमार, पता: सकरी, सोनबरसा, जिला: अरवल।	<p>इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु कितने बार जल का छिड़काव किया जायेगा; से संबंधित प्रश्न पूछा।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा।</p> <p>इसप्रकार श्री महेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>

3.	श्री रवि कुमार, पता: सोनबरसा, जिला: अरवल।	<p>इनके द्वारा बालू खनन के दौरान रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा।</p> <p>इसप्रकार श्री रवि कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
4.	श्री पप्पु सिंह, पता: सोनबरसा, जिला: अरवल।	<p>इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धुल-कण से फसल को नुकसान होता है; को रोक-थाम एवं वृक्षारोपण से संबंधित प्रश्न पूछा।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। साथ ही खनन अवधि में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जायेगा।</p> <p>इसप्रकार श्री पप्पु सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, पता: सोनविधा, सोनबरसा, जिला: अरवल।	<p>इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि अप्रैल से जून माह तक खासकर लू के समय लेसी प्रतिनिधि द्वारा बालू परिवहन के दौरान ज्यादा से ज्यादा जल का छिड़काव करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>उपरोक्त सुझाव को लेसी प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया कि कहा गया कि वे लू के समय ज्यादा से ज्यादा जल का छिड़काव करायेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र एवं बालू खनन क्षेत्र में जगह-जगह पर पानी पीने की सुविधा करायेंगे।</p>

6.	श्री रमेश रजक, पता: सोनबरसा, जिला: अरवल।	<p>इनके द्वारा बालू खनन के दौरान खनन की गहराई उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु समुचित उपाय, बालू परिवहन के दौरान सड़क खराब होने, वाहन चालक द्वारा अलील गाने बजाने, सड़क किनारे फसल खराब होने एवं पानी का छिड़काव से संबंधित प्रश्न पूछा गया।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। साथ ही खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा एवं जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा उसकी मरम्मती लेसी द्वारा कराया जायेगा। साथ ही लेसी द्वारा आवासन दिया गया कि वाहन चालक द्वारा अश्लील गाने नहीं बजाये जायेंगे।</p> <p>इसप्रकार श्री रमेश रजक को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
7.	श्री नितिश कुमार, पता: हुसैनविधा, सोनबरसा, जिला: अरवल।	<p>इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम एवं वाहन परिवहन के दौरान होने वाले आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित प्रश्न पूछा।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही सुबह की अवधि में कार्यालय जाने के समय एवं बच्चों को स्कूल जाने के समय बालू लदे वाहनों का संचालन नहीं किया जायेगा। बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दुर्घटना होने पर</p>

		<p>सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिनांक: 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा।</p> <p>इसप्रकार श्री नितिश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
--	--	--

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटों पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,  
गया



अपर समाहता,  
अरवल

### उपस्थिति सूची

मेसर्स फ्रेंटलाइन (एनसीआर) बिजनेस सॉल्यूशंस प्र० लिमिटेड,  
निर्देशक: श्री बीरेंद्र सिंह, पिता-स्व. राम लायक सिंह, 301, तीसरी  
मंजिल, पटना, सुपर मार्केट, फ्रेजर रोड, जिला—पटना—800001 द्वारा  
अरवल सोन नदी बालु घाट—02 मौजा—सोनबरसा, तहसील—अरवल,  
जिला—अरवल का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय  
स्वीकृति दिनांक: 26.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वाहिन में अंचल  
कर्यालय: अरवल, जिला—अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के  
दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	ADM-Arwal. Sanjay Kumar	ADM-Arwal	26/08/23
2.	Manotaranjan Koley	R.O, B.S.P.C.B. Koley	26/08/23
3.	Narendra Singh	MDO, Arwal	26/08/23
4.	Lisha	NI, Arwal	26/08/23
5.	Rajesh Kumar Vishwakas	Environment Consultant P&M Solution Moida. VP	Rajesh.
6.	SUV Pratap	Frontline (NCR) Super Market Freezer Road Patna	26.8.23
7.	गणेश	जमालनगर बिहारी 8229059975	गणेश
8.	3पेट्रुल	ग्राम पुरा - खानी द्वारा	3पेट्रुल
9.	गोपनी	ग्राम पुरा - खानी द्वारा	गोपनी

10.	ପାତ୍ରକାଳ କୁମାର 9693149691	ନାମ - କୁମାର କୁମାର ଠିକା - ପାତ୍ରକାଳ କୁମାର ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା - ଅରଣ୍ୟ	କୁମାର
11.	ପାତ୍ରକାଳ କୁମାର 9576947064	ନାମ - କୁମାର ଦ୍ୱାରା ଠିକା - ପାତ୍ରକାଳ କୁମାର ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା - ଅରଣ୍ୟ	chandekant Kumar
12.	ପାତ୍ରକାଳ କୁମାର 9973354969	ନାମ - କୁମାର ଦ୍ୱାରା ଠିକା - ପାତ୍ରକାଳ କୁମାର ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା - ଅରଣ୍ୟ	varjanikumar
13.	ଅମିତ କୁମାର 6205190893	" " "	Amrit Kumar
14.	ଶ୍ରୀରାମ କୁମାର 8102194801	" " "	Shri Ram Kumar
15.	ବିଶେଷ କିମ୍ବକ 8340735933	" " "	Vishesh
16.	ମହେଶ 9631119471	ନାମ - ମହେଶ ଠିକା - ମହେଶ ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା - ଅରଣ୍ୟ	ମହେଶ
17.	ମହୁମିଦ 9576449457	ନାମ - ମହୁମିଦ ଠିକା - ମହୁମିଦ ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା - ଅରଣ୍ୟ	ମହୁମିଦ
18.	ମହିରା କୁମାର 6204319732	ନାମ + ପାଇନ - କଥାରି ଇଲିଶା - ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା ଅରଣ୍ୟ	Sinh kumar
19.	ମହିମାନ କୁମାର 62048159 622481978	ନାମ + ପାଇନ - କଥାରି ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା - ଅରଣ୍ୟ	Mahimaran Kumar
20.	ପିଲୋମ କୁମାର 9006530224	ନାମ + ପାଇନ - କଥାରି ଫିଲିଙ୍ଗ ଆଗାମ + ଜିଲ୍ଲା - ଅରଣ୍ୟ	ପିଲୋମ କୁମାର

21.	रामल मुम्तज 9693068336	ली + नो = लालिनो वावा + जीवा = बावाल	रामल मुम्तज
22.	४९७ ३८२ ७३०१२ ६०२९३	२१११ + ५८० - २२११६४४ २१११ + ५८० - ३४२९३	४९८ ८३८
23.	Nish. Karmal Nish. Karmal 9779864499	Mr. Naseer Hussain Rizvi P.O - Prashant English	NK
24.	Prashant Kumar 9472559566	Vill. Fatehpur SAWANER HRIDHIL	Prashant Kumar
25.	Pratikush Kumar 8340738215	Vill- Ambaria, P.O. Ambaria, P.S. Bihari Patna	Pratikush
26.	Mohsin Ansari 9106942884	Vill Peur PO Peur P.S. Sahar. Bhopur	Mohsin Ansari
27.	Chet Lalwani 7739637536	Chet Lalwani Bilaspur	Chet Lalwani
28.	Jay Shewma 7004073689	Vill. Sombaria Jhewal,	Jay
29.	Aman Kesar 9304675870	Sombaria Jhewal.	
30.	Abhishek Kumar 9199116026	Sombaria Jhewal.	Ajay
31.	Ravi Kumar. Prashant English 5409616278	Prashant English Arwal.	Ravi

	Mahesh Kumar 9801062910	महेश कुमार 9801062910 Mob. 9.	43
33.	मनोज कुमार 9955677976	प्रसादी कुमार कुमार	Kumars
34.	संदीप कुमार 9934883600	संदीप (कुमार)	Signature
35.	मनोज कुमार 9162595688	मनोज	मनोज
36.	मनोज कुमार 7739417692	मनोज कुमार	Manoj
37.	मनोज कुमार 9504996086	मनोज कुमार कुमार	Manoj
38.	मनोज कुमार 9546211508	मनोज कुमार कुमार	Manoj
39.	मनोज कुमार 9002884081	मनोज	Manoj
40.	वासुदेव सिंह 8969092822	वासुदेव सिंह	वासुदेव
41.	कमल कुमार 9801883454	प्रसादी कुमार सिंह	KPS
42.	यशwant कुमार 7070003532	यशwant कुमार	Yashwant

Nikesh Kumar

43.	31 नं दुर्गा 9801177312	प्राची देवी	31 नं दुर्गा
44.	कमलेरा कृष्ण 620655673	प्राची देवी	कमलेरा कृष्ण
45.	प्राची देवी 6299081502	प्राची देवी	प्राची देवी
46.	Nikesh-Kumar 8002182479	प्राची देवी English	Nikesh-Kumar
47.	मंडी दुर्गा 6203254991	प्राची देवी	मंडी दुर्गा
48.	31 नं दुर्गा 7488677362	प्राची देवी	31 नं दुर्गा
49.	दुर्गा देवी 7050080805	प्राची देवी	दुर्गा देवी
50.	Sambalpur Kumar 8340372893	प्राची देवी	Sambalpur Kumar